



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग युवती से छेड़छाड करने वाले अभियुक्त को **04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹16000** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 05/2016 धारा- 452,354ए,323,506 भा0द0सं0 व 8 पाक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय पाक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर** द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **सत्यम पाटकार पुत्र रामरतन** निवासी चौबट्टा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को **04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹16,000/-** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री अवध नरेश सिंह चन्देल



विवेचक
उ0नि0 श्री अमर सिंह
यादव



पैरोकार थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव